

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:- एफ.4(ई)(एम-245/83)अलेसे -III/8223-26 दिनांक :- 3-12-2014

जांच बकाया नहीं प्रमाण-पत्र

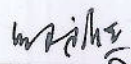
श्री महेश चन्द शर्मा, (सेवानिवृत्त) क0 लेखाकार मेरिट नं0 245/83 को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1(सी)1125/जांच/2006/1514-1517 दिनांक 27.05.2014 द्वारा सेवानिवृत्ति के दृष्टिगत नरम रुख अपनाते हुए उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 की कार्यवाही एतद् द्वारा समाप्त कर दी गई। श्री शर्मा को विभागीय आदेश संख्या 95/2012-13 दिनांक 11.06.2012 द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 30.09.2013 (मध्याह्न पश्चात) से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा के आदेश क्रमांक 794-97 दिनांक 30.09.2013 द्वारा सेवानिवृत्त किया गया।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश चन्द शर्मा, (सेवानिवृत्त) क0 लेखाकार तत्कालीन कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा के विरुद्ध इस विभाग में कोई जांच कार्यवाही बकाया/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एम-245/83)अलेसे -III/8223-26 दिनांक :- 3-12-2014
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा को उनके पत्रांक एम.1()/स्था. /2014/1647 दिनांक 09.10.2014 के क्रम में प्रेषित है।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा (राजस्थान)।
3. श्री महेश चन्द शर्मा, (सेवानिवृत्त) क0 लेखाकार, प्लॉट नं0 2ए-1, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा-324001
4. कम्प्यूटर शाखा, वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)